

12) 20/11/18

15/10/18
29/10/18
20/11/18

फर्द अहकाम
(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

चैलाराम वल्लु मौदाराम पाट
निवासी जौधेश्वर नगर
मु. न. 12 सन 2018

किसम मुकद्दमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/9/18	<p>पटवारी हल्का ... सड़ा ... ने रिपोर्ट पेश कर सुचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2875 में मौजा जौधेश्वर नगर के खसरा नं० ... 23 ... रकबा ... 8-14 बीघा ... किसम भूमि ... भू. भू. पर नाजायज अतिक्रमण कर काष्ठ व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक ... 15/10/2018 ... को बमुकाम ... सिणधरी ... पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> तहसीलदार सिणधरी</p>	
15/10/18	<p>पत्रावली भाग प्रस्तुत हुई और साक्ष्य उपस्थित और साक्ष्य अतिक्रमण दृष्टि से हेतु समझ चालते हैं। ऊँ दीना जाकर पत्रावली डाईडा दिनांक 29/10/18 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> तहसीलदार सिणधरी</p>	<p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 20/11/18</p>

R.C.M.S
2018/00023
20/11/2018

29/10/18

पत्रावली भाग प्रस्तुत हुई और साफल्य उपस्थित। और साफल्य से प्रतिष्ठमण दृष्टाने संबंधी पत्र पेश किया जा शामिल पत्रावली किण पीगलीन अधिकारी प्रति. परीक्षा में उभरी बाइबर होने के कारण मुख्य लप से बाहर है। आइन्दा पत्रावली दिनांक 12-11-2018 को पेश है।



12/11/18

पत्रावली भाग पेश हुई और साफल्य अनुपस्थित पत्रावली दस्ता की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली दस्ता की रिपोर्ट का इन्वॉल्ट किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/11/18 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी

20/11/18

पत्रावली भाग पेश हुई और साफल्य अनुपस्थित पत्रावली दस्ता उपस्थित। और साफल्य द्वारा क.मु. गैवा से प्रतिष्ठमण दृष्टाने संबंधी रिपोर्ट पत्रावली दस्ता से प्राप्त हुई। फेसला मालग से लिख जाकर शुके-यायलप में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किण भाग पत्रावली फेसल सुमार होकर नंबर से कर होकर दारिजल्यदफतर है।

Handwritten signature/initials
प. सदा

तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा गजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 11 पर क्र.सं. 2 पर जुमाना/फमल निवृत्त राशि 3 50/- की प्रांग दर्ज की गई।
17/12-18
तहसील राजस्व लेखिका
तहसील सिणधरी